## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

Office of The Executive Engineer

## उत्तर प्रदेश सरकार लोक निर्माण विमाग



प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग Provincial Division, Public Works Department 26 कस्तूरबा गांधी गार्ग, प्रयागराज :- 211002 26 Kasturba Gandhi Marg, Prayagraj 211002 Email ID:- pdallahabad@gmail.com

чять = 395/1E/AEI Camp

दिनांक:-11/06/2025

Annexure D

## **BUILDING SAFETY CERTIFICATE**

It is certified that the existing building New Era Public School at Village Jorwat, Post Khiri, Tehsil Koraon, Prayagraj-212106 is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	1 Ground Floor 2 First Floor 22 Rooms	1				

The building is owned/occupied by New Era Public School at Village Jorwat, Post Khiri, Tehsil Koraon, Prayagraj-212106 have complied with the Building Safety requirements in accordance with National Building Code Rules, and verified by the officers concerned of Sudher Kumar Pandey on 10-06-2025 in the presence of Mahendra Kumar Mishra, Village Jorwat, Post Khiri, Tehsil Koraon, Prayagraj -212106 and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 20-09-2018 for a period of 10 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

- 1. भवन में फायर एण्ड लाइट सेफ्टी एण्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फायर सेफ्टी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशनल (आई0एस0—14435:1997) के अनुसार व्यवस्था की जायेगी एवं सभी शिक्षकों को इनके प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भी फायर सेफ्टी विभाग से प्राप्त कर लिया जाय।
- 2. भवन में इलेक्ट्रिकल एवं वायरिंग इक्यूपमेंट आई०एस०आई० मार्क होनें चाहिए, एवं विद्युत विभाग से सुरक्षित होनें का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय।
- 3. विद्यालय भवन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की ज्वलनशील एवं टॉक्सिक सामग्री एकत्रित न रखी जाय।
- 4. किचन एवं इस प्रकार के क्रिया कलाप विद्यालय के मुख्य भवन से बाहर रहेंगे।
- विद्यालय के प्रयोगार्थ वाटर स्टोरेज टैंक विद्यालय के मुख्य भवन से बाहर होंगे।
- 6. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के पूर्व टीम विशेषज्ञ जैसे इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, अग्निशभन अधिकारी एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर लिया जाय।
- 7. भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनें के उपरान्त ही किया जाय एवं इसकी सूचना सभी समबन्धित विभागों को दी जाय।

Issued on Dt . \	1106	12025	att	эy
------------------	------	-------	-----	----

Assistant Engineer (IV)
Provincial Division PWD
Prayagraj

老